



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102020-222833
CG-DL-E-29102020-222833

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]
No. 317]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2020/कार्तिक 7, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/KARTIKA 7, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2020

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी-एमटीआर 09/2020

विषय: कोरिया गणराज्य, ताइवान, चीन जन.गण., मलेशिया, थाइलैंड, रूस और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पेस्ट/अमल्सन रेसिन" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में कोरिया गणराज्य से उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम बदलने तक सीमित मध्यावधि समीक्षा - अंतिम खोज अधिसूचना संख्या 15/19/2014-डीजीएडी में संशोधन 26 अप्रैल, 2016।

फा. सं. 7/23/2020-डीजीटीआर.— क. मामले की पृष्ठभूमि:—

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

2. जबकि उपरोक्त अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे “प्राधिकारी” के रूप में कहा गया है) ने दिनांक 26 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 15/19/2014-डीजीएडी के तहत अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे। इसके तहत कोरिया गणराज्य, ताइवान, चीन जन.गण. मलेशिया, थाइलैंड रूस और यूरोपीय संघ (इसके बाद इसे “संबद्ध देश” के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ‘पॉली विनाइल क्लोराइड (पी वी सी) पेस्ट/इमल्सन रेसिन’ के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की गई थी।
3. और जबकि केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 23 जून 2016 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 27/2016- सीमा शुल्क (ए डी डी) के तहत संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर निश्चयात्मक पाटनरोधी लगाया था।
4. और जबकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और पाटन रोधी नियमावली के तहत प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि पाटन रोधी शुल्कों को जारी रखने की जरूरत के संबंध में समय-समय पर समीक्षा की जाए। हन्वा सोल्यूशंस कारपोरेशन ने यह उल्लेख करते हुए एक मध्यावधि समीक्षा आवेदन दाखिल किया है कि हन्वा कैमिकल कारपोरेशन का अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हन्वा क्यू सैल्स एंड एडवांस्ड मैटेरियल्स कारपोरेशन के साथ विलय होने से केवल नाम में परिवर्तन हुआ है और इससे आवेदक की शेयरधारिता की संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यह दावा किया गया है कि हन्वा क्यू सैल्स एंड एडवांस्ड मैटेरियल्स कारपोरेशन का हन्वा कैमिकल कारपोरेशन के साथ विलय होने के बाद से दिनांक 6 जनवरी 2020 को मूल नाम बदला गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इसे देखते हुए उनके सभी निर्यात हन्वा सोल्यूशंस कारपोरेशन के नाम से होंगे और तदनुसार, हन्वा कैमिकल कारपोरेशन पर लागू शुल्क को हन्वा सोल्यूशंस कारपोरेशन के लिए लागू किया जाना चाहिए क्योंकि संस्था तो वही है।
5. और जबकि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड I में प्रकाशित दिनांक 3 अगस्त 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके तहत कोरिया गणराज्य, ताइवान, चीन जन. गण., मलेशिया, थाइलैंड, रूस और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा से वहां से निर्यात किए गए ‘पॉली विनाइल क्लोराइड (पी वी सी) पेस्ट/ इमल्सन रेसिन’ के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में कोरिया गणराज्य से उत्पादक/निर्यातक का नाम बदलने तक सीमित मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की गई। यह समीक्षा जांच केवल नाम बदलने के पहलु तक ही सीमित है जैसा कि मै. हन्वा सोल्यूशंस कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य (इसके बाद इसे “आवेदक” के रूप में कहा गया है) द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 15/19/2014-डीजीएडी के अंतिम जांच परिणामों और दिनांक 23 जून, 2016 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 27/2016- सीमाशुल्क-(एडीडी) के तहत लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के संबंध में दावा किया गया है।

ख . प्रक्रिया

6. जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :
 - i. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 3 अगस्त 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके तहत कोरिया गणराज्य से उत्पादक/निर्यातक का नाम बदलने तक सीमित मध्यावधि समीक्षा शुरू की गई।
 - ii. प्राधिकारी ने दिनांक 3 अगस्त 2020 की, जांच शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध देशों के दूतावासों और भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात घरेलू उत्पादकों (जिनके विवरण आवेदक द्वारा प्रदान किए गए थे) को भेजी गई और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के तहत सूचना की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।
 - iii. वर्तमान जांच के प्रयोजन से कोई जांच की अवधि निर्धारित नहीं की गई थी क्योंकि जांच का दायरा केवल आवेदक के नाम बदलने तक ही सीमित था।

- iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की। आवेदन की एक प्रति अनुरोध के अनुसार, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी प्रदान की गई।
- v. प्राधिकारी ने इस प्रकार से प्रदान की गई जानकारी की सटीकता और पर्याप्तता के लिए परिवर्तित परिस्थितियों के संबंध में निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की है।
- vi. प्राधिकारी ने, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 20 अक्टूबर 2020 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए भी अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, उन्हें मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए अपने दृष्टिकोण को लिखित में दाखिल करने और उसके बाद रिज्वाइंडर दाखिल करने का अनुरोध किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों में किए गए तर्कों और तत्संबंधी रिज्वाइंडर पर, जितना वे वर्तमान जांच के लिए संगत पाए गए, इस अन्तिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।
- vii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा “गोपनीय आधार” पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावे की प्रत्याप्तिता के संबंध में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना का प्रत्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था।
- viii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने उसे सुलभ कराने से इंकार किया है अथवा वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में पर्याप्त रूप से रुकावट उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर मामले की जांच की है।
- ix. प्राधिकारी ने नियम 16 के तहत दिनांक 26 अक्टूबर 2020 को एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया है। प्रकटीकरण विवरण के अनुसरण में आवेदक उत्पादक/ निर्यातक के अलावा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई भी टिप्पणी दाखिल नहीं की गई है। आवेदक उत्पादक/ निर्यातक से प्रकटीकरण विवरण की पुष्टि करने के लिए अनुरोध किया गया है।

ग. आवेदक उत्पादक और निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोध

7. कोरिया गणराज्य से आवेदक उत्पादक व निर्यातक, मैसर्स हन्वा सोल्यूशंस कारपोरेशन द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - क. आवेदक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि शुल्क लगाए जाने के बाद और दिनांक 6 जनवरी 2020 से, आवेदक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी, हन्वा क्यू सैल्स एंड एडवांस्ड मैटेरियल कारपोरेशन (इसके बाद इसे “एच क्यू ए एम सी” के रूप में भी कहा गया है) का कारोबारी प्रभावकारिता के लिए आवेदक के साथ विलय हो गया है। आवेदक और एच क्यू ए सी दोनों ही हन्वा ग्रुप का हिस्सा हैं। विलय होने के बाद एच क्यू ए एम सी का एक पृथक संस्था के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है और निदेशक मंडल की दिनांक 2 जनवरी, 2020 को आयोजित इसकी बैठक में आवेदक का नाम बदलकर हन्वा सोल्यूशंस कारपोरेशन कर दिया गया है।
 - ख. यह भी कहा गया है कि विलय होने के बाद से आवेदक के केवल नाम में परिवर्तन किया गया है और इसकी शेयरधारिता की संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। आवेदक के पास पूर्ववर्ती एच क्यू ए एम सी में 100 प्रतिशत शेयर हैं इस विलय के परिणामस्वरूप एच क्यू ए एम सी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। आवेदक कंपनी की शेयर पूंजी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि आवेदक को एक विलयित संस्था होने के कारण एच क्यू ए एम सी में अपनी शेयरधारिता के लिए इसके बदले स्वयं को ही कोई शेयर आबंटित करने की कोई जरूरत नहीं थी।

- ग. आवेदक के केवल दो ही शेयरधारक हैं, जिनके पास आवेदक में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं, नामतः हन्वा कॉर्पोरेशन (36.88 प्रतिशत) और नेशनल पेंशन सर्विस (10 प्रतिशत) और उनकी शेयर धारिता जारी है। शेष शेयरधारित आम जनता के पास है।
- घ. यह भी अनुरोध किया गया है कि विलय होने से आवेदक को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ है। साथ ही भविष्य में भी कोई लाभ होने की संभावना नहीं है। एच क्यू ए एम सी प्राथमिक रूप से ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान देती है और वह विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी भी कोरोबारी क्रियाकलाप में शामिल नहीं थी। तदनुसार इस विलय का भारत के विचाराधीन उत्पाद के निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ड. इस विलय का एकमात्र प्रयोजन प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना और कारोबारी प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ बनाना था, इससे आवेदक की प्रबंधन संरचना में सीमित बदलाव हुआ है जो कि वर्तमान सीईओ, श्री कू यूंग ली के अलावा, आवेदन में दो अतिरिक्त सी ई ओ शामिल करने तक ही सीमित है। दो अतिरिक्त सी ई ओ की नियुक्ति दो अलग-अलग कारोबारी डिविजन के प्रबंधन के लिए की गई है जो कि आवेदक के साथ एच क्यू ए एम सी का विलय होने के बाद अस्तित्व में आए हैं और जो पूर्ववर्ती कंपनी के प्रबंधन का भी हिस्सा थे। इस विलय के परिणामस्वरूप आवेदक के लेखों में कतिपय वित्तीय समायोजन भी किए गए हैं ताकि आवेदक और एचक्यूएएमसी के बीच अंतर कंपनी लेनदेन, शेष वस्तु सूचियों, बिक्री की लागत और एचक्यूएएमसी के संबद्ध निवेश स्टॉक को दर्शाया जा सके।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

8. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को यहां इस प्रकार से शामिल किया गया है :

- i. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक का नाम हन्वा कैमिकल कारपोरेशन से बदलकर हन्वा सोल्यूशंस कारपोरेशन किया गया था, जो कि आवेदक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, हन्वा क्यू सैल्स एंड एडवांस्ड मैटेरियल्स कारपोरेशन के साथ 1:0 के अनुपात में दिनांक 6 जनवरी 2020 से विलय हो जाने के परिणामस्वरूप हुआ। आवेदक के साथ एच क्यू ए एम सी के विलय के उपरांत आवेदक का नाम हन्वा सोल्यूशंस कारपोरेशन कर दिया गया है। इसे जिला कर कार्यालय, कोरिया द्वारा सियोल, कोरिया स्थित कार्यालय और युओसू/ उलसान, कोरिया की निर्माण इकाई के लिए जारी किए गए तथ्य प्रमाणपत्र में दर्शाया गया है, जिसमें कि हन्वा सोल्यूशंस द्वारा किए गए अनुरोध की जांच की गई थी और कारोबार का नाम हन्वा कैमिकल कारपोरेशन से बदलकर हन्वा सोल्यूशंस कारपोरेशन किया गया था। सियोल, कोरिया स्थित कार्यालय और युओसू/ उलसान, कोरिया के लिए कारोबारी प्रमाण पत्रों में भी उपरोक्त नाम बदलने का उल्लेख किया गया है।
- ii. आवेदक द्वारा वित्तीय पर्यवेक्षण सेवा, कोरिया की एकीकृत वित्तीय नियामक के पास दाखिल की गई सार्वजनिक घोषणा से यह स्पष्ट है कि केवल आवेदक का नाम बदला गया है, जिसमें शेयरधारिता की संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आवेदक के पास पूर्ववर्ती एच क्यू ए एम सी में 100 प्रतिशत शेयर हैं। चूंकि कंपनियों ने 1:0 के अनुपात में विलय को रखने का संकल्प लिया है, इसलिए कोई पूंजीगत बढोत्तरी नहीं हुई थी और आवेदक द्वारा कोई नए शेयर जारी नहीं किए गए हैं तथा एच क्यू ए एम सी का इस विलय के बाद एक संस्था के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।
- iii. यह भी नोट किया जाता है कि सभी बदलाव आवेदक की संरचना में 2 नए सी ई ओ शामिल करने और इस विलय को दर्शाने के लिए आवेदक के वित्तीय लेखा में बदलाव तक सीमित हैं। इस विलय का एक मात्र प्रयोजन स्पष्ट रूप से प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना और कारोबारी प्रतिस्पर्धा को मजबूत बनाना है। विलय के कारण आवेदक को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ है, जैसा कि विलयित कंपनियों के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विगत तीन वर्षों के कारोबारी सेगमेंट, उत्पादन की मात्रा, बिक्रियों, कुल निर्यातों और भारत को उत्पाद वार निर्यात से स्पष्ट है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि यह अनुरोध केवल नाम बदलने का है और यह कि स्वामित्व की शेयरधारिता की पद्धति में कोई बदलाव नहीं है, जो जारी है और पहले की तरह प्रचालन हो रहा है।

ड. निष्कर्ष और सिफारिशें

9. मामले के सभी पहलुओं और मैसर्स हन्वा सोल्यूशंस कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य से आवेदक उत्पादक/ निर्यातक और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने यह पाया है कि दिनांक 6 जनवरी 2020 से आवेदक उत्पादक/ निर्यातक, अर्थात् मैसर्स हन्वा कैमिकल कारपोरेशन का नाम बदलकर मैसर्स हन्वा सोल्यूशंस कारपोरेशन किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2016 की अन्तिम जांच परिणाम की अधिसूचना सं. 15/19/2014- डीजीएडी की तालिका में निम्नलिखित बदलाव किए जाते हैं :
 - i. कॉलम 6 में क्रम सं. 1 पर उत्पादक “हन्वा कैमिकल कारपोरेशन” के नाम में संशोधन करके उसे “हन्वा सोल्यूशंस कारपोरेशन” पढ़ा जाता है।
 - ii. कॉलम 7 में क्रम सं. 1 पर निर्यातक “हन्वा कैमिकल कारपोरेशन” के नाम में संशोधन करके उसे “हन्वा सोल्यूशंस कारपोरेशन” पढ़ा जाता है।
10. तदनुसार, 23 जून 2016 को सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 27 / 2016- सीमा शुल्क (ADD) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
11. केन्द्रीय सरकार के आदेशों के खिलाफ इस सिफारिश के कारण की जाने वाली कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th October 2020

FINAL FINDINGS**Case No.AD-MTR 09/2020**

Subject: Mid-Term Review limited to change of name of producer/exporter from Korea RP regarding anti-dumping duty imposed on imports of “Poly Vinyl Chloride (PVC) Paste/Emulsion Resin” originating in or exported from Korea RP, Taiwan, China PR, Malaysia, Thailand, Russia and European Union- Amendment to the final finding notification no. 15/19/2014-DGAD dated 26th April, 2016.

F. No. 7/23/2020-DGTR.— A. BACKGROUND OF THE CASE;—

1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the “Rules”) thereof;
2. Whereas having regard to the Act and Rules supra, the Designated Authority, (hereinafter referred to as “the Authority”) had issued its final finding vide Notification No. 15/19/2014-DGAD dated 26th April 2016 recommending continued imposition of definitive anti-dumping duty on imports of anti-dumping duty imposed on imports of “Poly Vinyl Chloride (PVC) Paste/Emulsion Resin” originating in or exported from Korea RP, Taiwan, China PR, Malaysia, Thailand, Russia, and European Union (hereinafter referred to as the subject country).
3. And whereas the Central Government, vide Customs Notification No. 27/2016- Customs (ADD) dated 23rd June 2016, had imposed definitive anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from the subject countries.

4. And whereas the Customs Tariff Act and the Anti-dumping Rules require the Authority to review from time to time the need for the continuance of anti-dumping duties. Hanwha Solutions Corporation has filed a Mid-Term Review application stating that a merger of Hanwha Chemical Corporation with its wholly owned subsidiary Hanwha Q Cells and Advanced Materials Corporation has resulted in a name change only, and there has been no change in the shareholding structure of the applicant. It has been claimed that the original company name has changed on 6th January, 2020 following merger of Hanwha Q Cells and Advanced Materials Corporation with Hanwha Chemical Corporation. They have further claimed that in view of the same, all their exports will be in the name of Hanwha Solutions Corporation, and accordingly, the duty applicable on Hanwha Chemical Corporation must be made applicable to Hanwha Solutions Corporation as the entity is the same.
5. And, whereupon in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority issued a public notice dated 3rd August 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary Part I Section I, initiating the **Mid-Term Review limited to change of name of producer/exporter from Korea RP regarding anti-dumping duty imposed on imports of “Poly Vinyl Chloride (PVC) Paste/ Emulsion Resin” originating in or exported from Korea RP, Taiwan, China PR, Malaysia, Thailand, Russia, and European Union.** The review is only limited to the aspect of the name change as claimed by M/s **Hanwha Solutions Corporation, Korea RP (hereinafter referred to as “Applicant”)** with regard to the Final Findings of No. 15/19/2014-DGAD dated 26th April 2016 and the definitive anti-dumping duty imposed vide Customs Notification No. 27/2016- Customs (ADD) dated 23rd June 2016.

B. PROCEDURE

6. The procedure described below has been followed with regards to the investigation:
 - i. The Authority, issued a public notice dated 3rd August 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating midterm review limited to change of name of producer/exporter from Korea RP, investigation concerning imports of the subject goods from subject countries.
 - ii. The Authority forwarded a copy of initiation notification dated 3rd August 2020 to the embassies of the subject countries and known domestic producers of subject goods in India (whose details were made available by the Applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules. They were advised to reply within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules.
 - iii. There was no period of investigation set for the purpose of the present investigation as the scope of the investigation was restricted to change of name of the applicant only.
 - iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the embassies of subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.
 - v. The Authority has examined the information furnished by the exporter with regard to the changed circumstance for accuracy and adequacy of the information so provided.
 - vi. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in the public hearing held on 20th October 2020. The parties which presented their views in the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally followed by rejoinders. The arguments made in the written submissions and rejoinders thereon received from the interested parties to the extent considered relevant for the present investigation have been addressed by the Authority in this final finding.
 - vii. Information provided by interested parties on ‘confidential basis’ was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been

considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- viii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has examined the issue on the basis of the 'facts available'.
- ix. The Authority issued a disclosure statement under Rule 16 on 26th October, 2020. No comments other than the Applicant producer/exporter have been filed by interested parties pursuant to the disclosure statement. The Applicant producer/exporter has requested to confirm the disclosure statement.

C. SUBMISSIONS MADE BY APPLICANT PRODUCER AND EXPORTER

7. The following submissions have been made by M/s Hanwha Solutions Corporation, the applicant producer-cum-exporter from Korea RP:
 - a. It has been submitted by the Applicant that following the imposition of duty and with effect from January 6, 2020, Hanwha Q Cells and Advanced Materials Corporation, a wholly owned company of the Applicant ("HQAMC") merged into the Applicant for business efficacy. Both the Applicant and HQAMC are part of the Hanwha Group. Subsequent to the merger, HQAMC has ceased to exist as a separate entity and in the board of directors' meeting dated January 2, 2020, the name of the Applicant has been changed to Hanwha Solutions Corporation.
 - b. It has also been submitted that consequent to the merger there has only been a change of name of the Applicant with no change in its shareholding structure. The Applicant held 100% of the shares in the erstwhile HQAMC and consequent to this merger, HQAMC has ceased to exist as an entity. There has not been any change in the share capital of the Applicant company since there was no need for the Applicant to allot any shares to itself in exchange for its shareholding in HQAMC, being the merged entity.
 - c. There are only two shareholders of the Applicant that hold more than 5% shareholding in the Applicant, namely Hanwha Corporation (36.88%) and the National Pension Service (10%) and they continue to remain so. The remaining shareholding is held by the general public.
 - d. It has also been submitted that the merger has not resulted in any direct advantage to the Applicant. It is also not expected to have any future gains. HQAMC primarily focused on the energy sector and was not involved in any business activity concerning the product under consideration. Accordingly, this merger will not have any impact on the export of the product under consideration to India.
 - e. The sole purpose of the merger was to enhance management efficiency and strengthen business competitiveness. Post-merger, there has been a limited change in the management structure of the Applicant to the extent of the addition of two additional CEOs in the Applicant, beside the existing CEO, Mr. Koo Yung Lee. The two additional CEOs have been appointed to manage two separate business divisions that came into existence after merging HQAMC with the Applicant and were part of the management of the erstwhile company as well. Consequent to the merger, certain financial adjustments have also been made in the accounts of the Applicant to reflect the intercompany transactions between the Applicant and HQAMC, the balance of inventories, cost of sales and affiliated investment stocks of HQAMC.

D. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

8. The submissions made by the interested parties are addressed herein below:
 - i. From the information available on record, it is noted that the change of name of the Applicant from Hanwha Chemical Corporation to Hanwha Solutions Corporation was done as a result of a merger with Hanwha Q Cells and Advanced Materials Corporation (hereinafter also referred to as HQMAC), a wholly owned company of the Applicant in the ratio 1:0, with effect from 6 January 2020. Subsequent

to the merger of HQAMC with the Applicant, the name of the Applicant has been changed to Hanwha Solutions Corporation. This has been reflected in the Certificate of Facts issued by the District Tax Office of Korea RP, for the office at Seoul, Korea RP and Manufacturing Unit at Yeosu/ Ulsan, Korea RP, whereby the request by Hanwha Solutions was examined and the name of the business was changed from Hanwha Chemical Corporation to Hanwha Solutions Corporation. The Business Certificates for the office at Seoul, Korea RP and for the manufacturing unit at Yeosu/ Ulsan, Korea RP also reflect the above change.

- ii. It is noted from the Public Announcement filed by the Applicant with Financial Supervisory Service, Korea RP's integrated financial regulator, that there has only been a change of name of the Applicant with no change in the shareholding structure. The Applicant held 100% of the shares in the erstwhile HQAMC. As the companies made the resolution to keep the merging ratio of 1:0, there was no capital increase and no new share has been issued by the Applicant and HQAMC discontinued as an entity after the merger.
- iii. It is also noted that all changes are limited to addition of 2 new CEOs to the management structure of the application and alteration in the financials of the Applicant to reflect this merger. The applicant has stated that the sole purpose of the merger was to enhance management efficiency and strengthen business competitiveness. The merger has also not resulted in any direct advantage to the Applicant, as is evident from the business segments, volume of production, sales, total exports, and product wise export to India for the last three years for the merged companies submitted by the Applicant. The Authority therefore holds that the request is of name change only and that there is no change in shareholding pattern of ownership which continues to exist and operate as before.

E. CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS

9. Having considered all aspects of the case, including submissions made by M/s Hanwha Solutions Corporation, the applicant producer/exporter from Korea RP, and considering the fact that no other interested party apart from the applicant producer/exporter has responded to the initiation notification, the Authority holds that the name of the producer/ exporter i.e. M/s Hanwha Chemical Corporation has been changed to M/s Hanwha Solutions Corporation. w.e.f. 6th January 2020. Accordingly, the Authority makes the following changes in the Table of the Notification no. 15/19/2014-DGAD dated 26th April 2016.
 - i. Against Serial No. 1, in Col. 6, the name of the Producer 'Hanwha Chemical Corporation' is amended to read as 'Hanwha Solutions Corporation'.
 - ii. Against serial No.1, in Col. No.7, the name of the Exporter 'Hanwha Chemical Corporation' is amended to read as 'Hanwha Solutions Corporation'.
10. Accordingly, the Customs Notification No. 27/2016- Customs (ADD) dated 23rd June 2016 may also be amended by the Ministry of Finance.
11. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority